मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांक: 684/आर–586/2022/ब–1/चार, भोपाल, दिनांक: 19/07/2022
प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय:– राज्य के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की शिकायतों के निराकरण बावत् ।

–::000::–

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय में अभिदाताओं की शिकायतों का निराकरण मुस्तैदी से होता है। इसके लिए संबंधित अनुभाग, शिकायत निवारण कक्ष तथा व्हाट्सप्प नम्बर 8827409410 तैनात है, इसके बावजूद प्रायः यह देखा गया है कि साधारण समस्याओं के लिए भी कुछ कोषालयों में कुछ विभागों के अभिदाता आदतन बिना उचित माध्यम अपनाए व बिना धैर्य रखे सीधे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय को नाम से शिकायत कर रहे है।

2/ अभिदाताओं की शिकायतों के निराकरण की अवधि निम्नानुसार प्रत्येक स्तर पर 30 कार्य दिवस है:–

1. संबधित शाखा के अधिकारी
2. व्हाट्सप्प नम्बर +91–8827409410
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (निधि)
4. प्रधान महालेखाकार
5. शिकायत निराकरण कक्ष में स्वयं प्रस्तुत शिकायत लिखवाना।

3/ अभिदाताओं की शिकायतों का निराकरण 30 दिवस की अवधि में नहीं होता है, उस स्थिति में अभिदाता अगले स्तर के अधिकारी से शिकायत कर सकता है। यदि प्रधान महालेखाकार कार्यालय का कोई भी अधिकारी अभिदाता की शिकायत नहीं सुनता है, या उसका निराकरण नहीं करता है, तब अभिदाता भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली को शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करें कि सभी सामान्य भविष्य अभिदाताओं द्वारा भविष्य में शिकायतों को उचित माध्यम से ऊपर दिये गये पदक्रमानुसार प्रधान महालेखाकार कार्यालय को ही प्रेषित की जायें।

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा0कमांकः 685 / 586 / 2022 / ब–1 / चार, भोपाल, दिनांक 19 / 07 / 2022

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर / ग्वालियर।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / आडिट) 1 / 2 म.प्र.ग्वालियर / भोपाल।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
11. समस्त सचिव / संचालक बजट / उपसचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

19/07/22

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग